फर्द अहकाम

गुलाब कंवर बनाम रघुवीर सिंह वगै०

नाम न्यायालय

केस संख्या 144/2017 T F

कं.म.संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	25/5/18	पत्रावली आज न्याय आपके द्वारा कैम्प कोर्ट अटल सेवा केन्द्र ग्राम पंचायत सामोद पर मूल वाद के साथ पेश हुई। प्रा० पत्र में उल्लेखित विवादित भूमि प्रार्थिया व अप्रार्थी की सह-खातेदारी की भूमि है जिसमें प्रत्येक सह-खातेदार को सहखातेदारी की भूमियों का उपयोग व उपभोग करने का समान अधिकार प्राप्त है। ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा को स्वीकार किया जाकर ता फैसला वाद उभय पक्षकारान को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि विवादित भूमि आराजी खसरा नम्बर 577 रकबा 0.40 हैक्टेयर खसरा नम्बर 578 रकबा 0.72 हैक्टेयर कुल किता 2 का कुल रकबा 1.12 हैक्टर वाके ग्राम सामोद तहसील चौमू के मौके की स्थिति बनाये रखे एवं किसी विशिष्ट भू-भाग का बेचान नहीं करें। उक्त अस्थाई निषेधाज्ञा विवादित भूमि के रहन एवं विरासत के नामान्तरकरण पर लागू नहीं होगा। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा दाखिल दफ्तर हो। निर्णय कैम्प कोर्ट अटल सेवा केन्द्र ग्राम पंचायत सामोद पर सुनाया गया। पत्रावली मूल वाद के संलग्न है। उपखण्ड अधिकारी चौमूं, जिला जयपुर

Scanned by CamScanner